

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या - 492/2023

अनवान : -

1. सुशील पुत्र बल देव चौधरी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. बलदेव पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

2. माया चौधरी पुत्री बलदेव जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

4. प्रमोद कुमार पुत्र बल देव चौधरी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान

काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक: 16.06.2023

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 112/107 की कुल 8.0550 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880 है० भूमि में से 21881/32880 हिस्सा व खाता संख्या 47/46 की कुल 5.8930 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू रीति-रिवाज से शासित है। प्रतिवादी सं० 1 कर्ता खानदान होने के कारण उक्त वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली, उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 व 4 का प्रतिवादी सं० 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया संख्या 2 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपनो जो भी हक हिस्सा है परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 2 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)



समझोता रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 112/107 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 8.0550 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा में भूमि पर वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 127/126 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 3.2880 है0 भूमि में से 21881/32880 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा पर वादी व प्रतिवादी संख्या 4 काबिज है शेष भूमि यथावत है व खाता संख्या 47/46 के कुल खसरे 2 का कुल क्षेत्रफल 5.8930 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 4 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 2 ने उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अधिवक्ता ने तरतीबी प्रतिवादी स0 4 को तर्क अंकित किया की प्रतिवादी स0 4 का जो भी हक हिस्सा है दिया जा रहा है।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 का इकबाल/आपसी सहमति मजमें आम में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 2 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं हैं। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।


हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 112/107 की कुल 8.0550 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880 है0 भूमि में

से 21881/32880 हिस्सा व खाता संख्या 47/46 की कुल 5.8930 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। प्रतिवादीगण स० 1 ता 2 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स० 1 ता 2 को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादीया स० 2 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है एवं तरतीबी प्रतिवादी स० 4 को अधिवक्ता वादी ने तर्क अंकित किया है कि प्रतिवादी स० 4 का हक हिस्सा दिया जा रहा है। अतः वादी के वाद को प्रतिवादी स० 1 ता 2 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 112/107 की कुल 8.0550 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 1 कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 को ब० हि० ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880 है० भूमि में से 21881/32880 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमियथावत रहेगी तथा खाता संख्या 47/46 की कुल 5.8930 है० भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 को ब० हि० ब० का बतौर खातेदार घोषित किया जाता है तथा ढाणी लालखां के खाता संख्या 47/46 में वादी का नाम सुशील कुमार की जगह सुशील का अंकन किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक.....16/6/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष - 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।


(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष-2023
कैम्प कोर्ट- भोगराना

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : सत्यनारायण (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 492/2023

अनवान : -

1. सुशील पुत्र बल देव चौधरी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. बलदेव पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
2. माया चौधरी पुत्री बलदेव जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

4. प्रमोद कुमार पुत्र बल देव चौधरी जाति जाट निवासी ढाणी लालखां तहसील नोहर।

- तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 492 सन 2023 निर्णय दिनांक 16.06.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा देईदास तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 के खाता संख्या 112/107 की कुल 8.0550 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा में से प्रतिवादी संख्या 1 कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 को ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं व रोही मौजा ढाणी लालखां तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880 है0 भूमि में से 21881/32880 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व शेष भूमियथावत रहेगी तथा खाता संख्या 47/46 की कुल 5.8930 है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा भूमि दोनो खातो में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार घोषित किया जाता है तथा ढाणी लालखां के खाता संख्या 47/46 में वादी का नाम सुशील कुमार की जगह सुशील का अंकन किया जावें। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/6/23 को प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर नोहर

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष-2023

कैम्प कोर्ट-भोगराना